



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225989
CG-DL-E-18032021-225989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 151]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

सा.का.नि. 200(अ).— केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 3ख में,—
- (क) उपनियम (1) में "पच्चीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "सत्तर हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपनियम (2) "चौदह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "उन्तालीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.एल-11017/1/2020-न्या. I]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 1161[गृह मंत्रालय सं.15.6.58-न्या.-1] में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 935 तारीख 4 अगस्त, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन किए गए:--

1. सा.का.नि. सं.1366 तारीख 18 दिसंबर, 1974
2. सा.का.नि. सं.634 तारीख 22 अप्रैल, 1976
3. सा.का.नि. सं.854 तारीख 1 अगस्त, 1980
4. सा.का.नि. सं.1176(अ) तारीख 4 नवंबर, 1986
5. सा.का.नि. सं.680(अ) तारीख 12 नवंबर, 1991
6. सा.का.नि. सं.381(अ) तारीख 20 अप्रैल, 1993
7. सा.का.नि. सं.444(अ) तारीख 10 मई, 1995
8. सा.का.नि. सं.717(अ) तारीख 3 नवंबर, 1995
9. सा.का.नि. सं.718(अ) तारीख 3 नवंबर, 1995
10. सा.का.नि. सं.149(अ) तारीख 24 फरवरी, 1999
11. सा.का.नि. सं.393(अ) तारीख 25 मई, 2001
12. सा.का.नि. सं.757(अ) तारीख 4 अक्टूबर, 2001
13. सा.का.नि. सं.110(अ) तारीख 5 फरवरी, 2003
14. सा.का.नि. सं.202(अ) तारीख 15 मार्च, 2004
15. सा.का.नि. सं.162(अ) तारीख 11 मार्च, 2006
16. सा.का.नि. सं.602(अ) तारीख 29 सितंबर, 2006।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

G.S.R.200(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely: -

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 3B –
 - (a) in sub-rule (1), for the words “twenty five thousand rupees” the words “seventy thousand rupees” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words “fourteen thousand rupees” the words “thirty nine thousand rupees” shall be substituted.

[F.No. L-11017/1/2020-Jus.I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 935, dated the 4th August, 1959 page 1161 [Ministry of Home Affairs No. 15.6.58-Judl-I] and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 1366, dated the 18th December, 1974
2. G.S.R. 634 dated the 22nd April, 1976
3. G.S.R. 854 dated the 1st August, 1980
4. G.S.R. 1176 (E) dated the 4th November, 1986
5. G.S.R. 680 (E) dated the 12th November, 1991
6. G.S.R. 381(E) dated the 20th April, 1993
7. G.S.R. 444 (E) dated the 10th May, 1995
8. G.S.R. 717 (E) dated the 3rd November, 1995
9. G.S.R. 718 (E) dated the 3rd November, 1995
10. G.S.R. 149 (E) dated the 24th February, 1999
11. G.S.R. 393 (E) dated the 25th May, 2001
12. G.S.R. 757(E)dated the 4th October, 2001
13. G.S.R. 110 (E) dated the 5th February, 2003
14. G.S.R. 202(E) dated the 15th March, 2004
15. G.S.R. 162 (E) dated the 11th March, 2006
16. G.S.R. 602 (E) dated the 29th September, 2006